



एपाइसेस बोर्ड  
भारत

स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Commerce & Industry, Government of India

CERTIFICATE OF REGISTRATION AS EXPORTER OF SPICES  
(अनंतरणीय / Not transferable)

प्रमाणपत्र सं. /Certificate No :ML/REG/14646/2021

1	पंजीकरण संख्या/Registration Number	14646
2	फर्म का नाम/ Name of the firm	ANSAR & SONS
3	आईईसी नंबर/ IEC Number	ABSP08164G
4	फर्म की प्रकृति/ Nature of Concern	PROPRIETORSHIP
5	पंजीकृत कार्यालय पता/ Registered office address	17-18,Tirupati Building, 7-8 Wing,,Sector-22, Turbhe,Nav Mumbai,MAHARASHTRA-400705
6	निर्यातक श्रेणी/Exporter Category	MERCHANT
7	वैधता/Validity	से/From 08/07/2021 To 07/07/2024 तक
8	शाखा / इकाई / पभाग का पता (आईईसी के अनुसार)/Address of the Branch/Unit/Division (As per IEC)	***संलग्न शाखा सूची के अनुसार*** ***As per Branch List enclosed***

एमएस। ANSAR & SONS

को मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 (आज तक यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट शर्तों और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन भारत से मसालों के निर्यातक के रूप में व्यापार करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (आज तक यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है।

M/s.ANSAR & SONS is / are hereby authorised to do business as Exporter of Spices from India subject to the conditions specified in the Spices Board (Registration of Exporters ) Regulations, 1989 (as amended till date) and instructions issued by the Spices Board. This certificate, issued as per the provisions of Spices Board Act, 1986 (as amended till date).

स्थान / Place : MUMBAI-(MKG)-RO

सिस्टम द्वारा तैयार प्रमाणपत्र

दिनांक / Date : 08/07/2021

SYSTEM GENERATED CERTIFICATE

[ टोकन संख्या /Token Number: 91227/807/47489 ]

(यह कंप्यूटर द्वारा तैयार प्रमाणपत्र है। लिंक पर क्लिक करके इस दस्तावेज़ की प्रामाणिकता सत्यापित की जा सकती है)

(This is computer generated certificate. The authenticity of this document can be verified by clicking the link

[https://indianspices.org.in/CRES\\_new/e-r-o/exporters-registration/form/verify\\_certificate.php](https://indianspices.org.in/CRES_new/e-r-o/exporters-registration/form/verify_certificate.php) using the Registration Number and Token Number)

शर्तें एवं निबंधने  
Terms & Conditions

1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता तिथि इस प्रमाण-पत्र में निर्धारित है।  
The validity date of Registration Certificate is as specified in the RCMC.
2. प्रत्येक निर्यातक को ऑनलाइन मासिक निर्यात विवरण (रिटर्न) भरना अनिवार्य है। यदि किसी माह में निर्यात नहीं किया गया हो, तो शून्य रिटर्न भरना अनिवार्य है। जो निर्यातक ऑनलाइन निर्यात रिटर्न (रिटर्न शून्य होने पर भी) भरने में असमर्थ होंगे, वे डिफॉल्टर निर्यातकों की सूची में शामिल होंगे और उनका पंजीकरण रद्द होने की संभावना होगी।  
Filing of online monthly export return is mandatory. In case of no export in any month, filling of nil return for the month is mandatory. The exporter who fails to file their online export return (even NIL return) shall be liable to fall in the list of defaulter exporters and may face de-registration.
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के पाँच वर्ष उपरान्त नवीनीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।  
Renewal fees will be charged after completion of five years from the date of registration with APEDA.
4. पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् यदि फर्म के निदेशक/साझेदार/मालिक अथवा फर्म का कोई कार्यकलाप, एपीडा या संबंधी कार्यालय जैसे वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड इत्यादि के प्रतिकूल नोटिस में आने पर, इस पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।  
The registration may be cancelled if any Director/Partner/Proprietor or the activity of the firm comes to the adverse notice of APEDA or concerned Govt. Authorities including, Ministry of commerce, DGFT, Ministry of Finance, Central Board of Excise & Customs etc.
5. पंजीकृत फर्म को दिया गया यूजर आई.डी एवं पासवर्ड के द्वारा, अपनी फर्म का विवरण जैसे फोन/फैक्स/ई-मेल इत्यादि एपीडा वेबसाइट में अपडेट कर सकते हैं।  
Registered members may change the communication details of the company such as phone/fax/e-mail on APEDA website using the user ID & password provided to them.
6. पंजीकृत फर्म से संबंधित नया पता/नई शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय अतिरिक्त कार्यालय/ कारखाना इत्यादि में संशोधन हेतु संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।  
For change in the communication address/addition of branches/factories, copy of amended IE Code is required to be submitted with the online application for update.
7. पंजीकृत फर्म के निदेशकों में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस संशोधन हेतु फार्म नं. 32 की प्रतिलिपि संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।  
For change of director(s) of the company, copy of resolution passed on Form 32 by the members of the company along with amended copy of IE code is required to be submitted with the online application for update.
8. पंजीकृत फर्म के संविधान में यदि कोई परिवर्तन हो तो इस परिवर्तन को निगमित करते हुए अंतर्नियम जापन की प्रतिलिपि संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करनी होगी। साझेदारों में परिवर्तन हेतु साझेदारी फर्म को नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित फर्म की साझेदारी विलेख संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित अद्यतन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।  
For change in the constitution of the company, a copy of memorandum of Association & Articles of association incorporating the changes along with amended copy of IE code is required. Partnership firm should submit a copy of partnership deed attested by notary along with amended copy of IE code to be submitted with the online application for update.
9. कंपनी के नाम में परिवर्तन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से परिवर्तित नए नाम को निगमित करते हुए संशोधित आई.ई.कोड की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत करें।  
For change in name of the company certificate of incorporation of new name from Registrar of companies along with amended copy of IE code.
10. यदि निर्यातक, उत्पादक निर्यातक है तो एपीडा अनुसूचित उत्पादों को अपने पंजीकरण में जोड़ने एवं हटाने के लिए निर्यातक को उत्पादन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।  
For addition/deletion of APEDA's scheduled products, a copy of manufacturing proof is required in case of manufacturer exporter.

एपीडा अनुसूचित उत्पाद  
APEDA Scheduled Products

01 पुष्पकृषि एवं बीज / Floriculture & Seeds

01. पुष्पकृषि / Floriculture
02. सब्जियों के बीज / Vegetables seeds
03. जड़ी-बूटी एवं औषधीय पौधे / Herbal & Medicinal Plants

02 फल एवं सब्जियाँ / Fruits & Vegetables

01. ताजे प्याज / Fresh Onions
02. अन्य ताज़ी सब्जियाँ / Others Fresh Vegetables
03. अखरोट / Walnut
04. ताजे आम / Fresh Mangoes
05. ताजे अंगूर / Fresh Grapes
06. अन्य ताजे फल / Others Fresh Fruits

03 प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ / Processed Fruits & Vegetables

01. सूखी एवं परिरक्षित सब्जियाँ / Dried & Preserved Vegetables
02. आम का गूदा / Mango Pulp
03. अचार एवं चटनी / Pickle & Chutney
04. अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियाँ / Other Processed Fruits & Vegetables

04 पशु उत्पाद / Animal Products

01. भैंस का मांस / Buffalo Meat
02. भेड़/बकरी का मांस / Sheep/ Goat Meat
03. कुक्कुट उत्पाद / Poultry Products
04. डेयरी उत्पाद / Dairy Products
05. पशु आँते / Animal Casings
06. प्रसंस्कृत मांस / Processed Meat
07. शहद / Honey
08. अन्य पशुओं के मांस

05 अन्य प्रसंस्कृत खाद्य / Other Processed Foods

01. मूँगफली / Groundnuts
02. ग्वार-गम / Guar gum
03. गुड़ व कन्फेक्शरी / Jaggery & Confectionery
04. कोको उत्पाद / Cocoa Products
05. अनाज से निर्मित उत्पाद / Cereal Preparations
06. मादक एवं गैर मादक पेय / Alcoholic & Non Alch. Bev.
07. विविध निर्मित उत्पाद / Miscellaneous Preparations

06 अनाज / Cereals

01. गैर बासमती चावल / Non Basmati Rice
02. बासमती चावल / Basmati Rice
03. गेहूँ / Wheat
04. अन्य मोटे अनाज / Other Coarse Grains



**स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार**  
**Ministry of Commerce & Industry, Government of India**

विषय: मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस) जारी करना / का नवीकरण बाबत

मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आपके आवेदन का हवाला लें। यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा आपके नाम सं. एमएल/पंजी/14646/2021 वाला, मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस), मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 (आज तक यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट निबंधन व शर्तों तथा स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन जारी किया जाता है। पंजीकरण पूरा करने पर आवेदक द्वारा लॉग इन के प्रत्यायकों का प्रयोग करते हुए प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

[1] सी आर ई एस प्रदान करने के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, मसाला निर्यात, मसालों / मसाला उत्पादों के राज्य वार स्रोत संबंधी तिमाही विवरणी, निर्धारित प्रपत्र में निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन एच बाई-पास, पी बी नं. 2277, पालारिवट्टम, कोच्ची - 682 025 [ ई-मेल : [tis.sb-ker@gov.in](mailto:tis.sb-ker@gov.in) ] को प्रत्येक तिमाही के समापन के 15 दिनों के अंतर्गत, बिना चूक के भेज दी जानी चाहिए। तिमाही निर्यात विवरणी की प्रस्तुति के लिए प्रपत्र, बोर्ड की वेबसाइट [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com) > Marketing > Exporters > Export Returns में उपलब्ध है। निर्यात / आयात न होने के मामले में इस संबंध में एक 'शून्य' रिपोर्ट, प्रत्येक तिमाही में बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

[2] बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली नमूनन व कंटेनर भराई प्रक्रिया के अनुसार, बोर्ड की वेबसाइट [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com) में "गुणवत्ता" के अंतर्गत "निर्यात के लिए अनिवार्य जांच" में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार, आपके द्वारा निर्यात परेषणों का नमूनन और बोर्ड की प्रयोगशाला में उनकी जांच करवाना अनिवार्य है। निर्यातकों से अनुरोध है कि वे, अनिवार्य-जांच संबंधी सूची में अद्यतन सूचनाओं के लिए वेबसाइट देखें।

[3] भारत से यूरोपीय संघ को कैप्सिकम एनम (मिर्च व मिर्च उत्पाद) और जायफल के निर्यात के मामले में, स्पाइसेस बोर्ड से दी गई समाशोधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर स्पाइसेस बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

[4] परेषणों का नमूनन और भराई संबंधी सूचना सिर्फ ऑन-लाइन द्वारा स्वीकार्य होगी। लॉग-इन और पासवर्ड तथा नमूनन और भराई संबंधी अधिक जानकारी के लिए स्पाइसेस बोर्ड के निकटतम प्रादेशिक कार्यालय से संपर्क करें या पूछताछ "[sampling.sb-ker@gov.in](mailto:sampling.sb-ker@gov.in)" में ई-मेल करें।

[5] यह भी नोट किया जाए कि मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 1989 के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातक, अगर वे ब्रैंड नामों के अंतर्गत उपभोक्ता-पैकों में निर्यात करना चाहते हैं तो, अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। निर्यातक, जिनके ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के साथ अपने ब्रैंड रजिस्ट्रीकृत है, वे आवेदन और मार्गदर्शन के लिए स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

[6] मसालों के रजिस्ट्रीकृत निर्यातक होने के नाते, आप निधि की उपलब्धता के अधीन, "निर्यात विकास व संवर्धन" योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं, जिनका विवरण बोर्ड की वेबसाइट [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)>Marketing> Export Development and promotion में दिया गया है।

Sub: Issue/ Renewal of Certificate of Registration as Exporter of Spices [CRES]

This has reference to your application for Certificate of Registration as Exporter of Spices. This is to inform that, Certificate of Registration as Exporter of Spices [CRES] bearing No.ML/REG/14646/2021, dated 08/07/2021 issued in your favour subject to the terms and conditions specified in the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989 (as amended till date) and instructions issued by the Spices Board. Certificate can be downloaded by clicking the Regsitariion link by using your user id & password.

[1] In accordance with the terms and conditions of grant of CRES, the Quarterly Returns of Spices Export, state-wise origin of Spices/Spice products thereon should be submitted in prescribed format to the Director (Mktg), Spices Board, Sugandha Bhavan, N H By-Pass, Palarivattom P O, Kochi- 682 025 (E-mail: [tis.sb-ker@gov.in](mailto:tis.sb-ker@gov.in)) within 15 days on completion of each quarter. Format for the



**स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD**  
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार**  
**Ministry of Commerce & Industry, Government of India**

ML/REG/14646/2021 दिनांक 08/07/2021 के साथ शक सूची संलग्न  
BRANCH LIST ANNEXED TO : ML/REG/14646/2021-DATED 08/07/2021

पंजीकरण संख्या / Registration Number :14646

फर्म का नाम / Name of the Firm :ANSAR & SONS

SL.NO	BRANCH ADDRESS
1	PLOT NO. 8-B1, ROAD NO.8,BAIGANWADI , SHIVAJI NAGAR MUMBAI,MAHARASHTRA